फर्द अहकाम

भैरूलाल वगै0 बनाम तहसीलदार पावटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
प्रकरण संख्या 06/2025 प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी
जीसीएमएस संख्याः 2025/212

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	टिप्पणी
	26.06.25	पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसील पार्टी हेतु पत्रावली कम्प्यूटर इन्द्राज होकर दर्ज रजिस्टर हो बाद दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 17:48:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (RAS)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 06/2025 दायर दि. 05.06.2025

उनवान

1. भैरूलाल यादव पुत्र भगवानसहाय यादव
2. सुरजमल यादव पुत्र भगवानसहाय यादव
3. बनवारीलाल यादव पुत्र भगवानसहाय यादव
4. जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र भैरूलाल यादव

समस्त जातियान यादव निवासी टसकोला तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड।

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक: 26.06.2025**

1. प्रार्थीगण के ओर से जरिये अधिवक्ता श्री नरेश कुमार यादव के द्वारा प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 2019/153/1.25, 2017/155/1.83, 153/1949/0.50, 153/1954/0.50, 153/1947/1.50, 153/1953/1.50, 153/1948/0.25, 2278/162/0.92 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा बुचारा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान में स्थित है। जिसके रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

2. प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 2019/153/1.25, 2017/155/1.83, 153/1949/0.50, 153/1954/0.50, 153/1947/1.50, 153/1953/1.50, 153/1948/0.25, 2278/162/0.92 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा बुचारा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान से लगती अन्य भूमि के खातेदार काश्तकार आये दिन ताकत के बल पर प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि की डोल वगैरह तोड़ देते है, फसल नष्ट कर देते है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने पर उतारु है। प्रार्थीगण द्वारा समझाने पर नही मान रहे है, मरनें–मारनें पर आमादा है। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर2019/153/1.25, 2017/155/1.83, 153/1949/0.50, 153/1954/0.50, 153/1947/1.50, 153/1953/1.50, 153/1948/0.25, 2278/162/0.92 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा बुचारा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 17:48:32 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थीगण नें पूर्व में अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 03.12.2024 को करवाया जा चुका है। प्रार्थीगण उक्त आराजी भूमि की पत्थरगढ़ी करने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार पावटा को कहा तो तहसीलदार पावटा ने सक्षम न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश करने हेतु कहा। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना –पत्र अन्दर मियाद निर्धारित न्यायशुल्क पर पेश है। आराजी विवादास्पद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना–पत्र सुनने व तैय करने का अधिकार है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

4. अतः प्रार्थना–पत्र गय शपथ पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 2019 / 153 / 1.25, 2017 / 155 / 1.83, 153 / 1949 / 0.50, 153 / 1954 / 0.50, 153 / 1947 / 1.50, 153 / 1953 / 1.50, 153 / 1948 / 0.25, 2278 / 162 / 0.92 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा बुचारा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओ का निश्चयीकरण विधि की व्यवस्था में निर्धारित प्रकिया से कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि अपनी भूमि का सही रूप से उपयोग कर सकें।

5. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पैरोकार से जवाब लिया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण को दिनांक 03.12.2024 के अनुसार हुए सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी के आदेश पारित करने बाबत निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नगत आराजीयात का दिनांक 03.12.2024 को सीमाज्ञान किया गया है तथा प्रार्थीगण अपने सुखाधिकार एवं भूमि की रक्षा व सींव डोल की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

6. आ.ख.नं. 153 / 1948 / 0.25, 2278 / 162 / 0.92 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा बुचारा तहसील पावटा की किस्म वर्तमान राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण अंकित है और ना ही उक्त खसरा नम्बर 153 / 1948, 2278 / 162 वाके मौजा बुचारा तहसील पावटा के हाल जमाबन्दी अनुसार काश्तकार प्रार्थीगण है। कृषि से अकृषि रूपान्तकरण हो चुकी भूमि का सुनवाई क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है। इसलिए खसरा नम्बर 153 / 1948 / 0.25, 2278 / 162 / 0.92 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा बुचारा तहसील पावटा का हाजा न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण पत्थरगढी आदेश जारी नही किया जा सकता है।

6. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नम्बर 2019 / 153 / 1.25, 2017 / 155 / 1.83, 153 / 1949 / 0.50, 153 / 1954 / 0.50, 153 / 1947 / 1.50, 153 / 1953 / 1.50, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान का दिनांक 03.12.2024 को हुये सीमाज्ञान के मुताबिक यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार फीस जमा करवाकर पत्थरगढ़ी करवावे।तथा पत्थरगढी के आदेश के माध्यम से किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तदानुसार आदेश जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2025.07.31 17:48:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)